

प्रारूप-13 (नियम 13(2) देखिए)

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्र.सं. अवि.प्रा./सुमोटो/2023/ 2195

दिनांक: 18.09.2023

लोक सूचना

अंतर्गत धारा 90 । सपटित धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह पाया गया है कि वर्तमान जमानवन्दी के अनुसार हाल (खसरा नम्बर रकबा (हैक्ट. में), किसम्) के क्षेत्र ग्राम लोहागल राहसील अजमेर जिला अजमेर में स्थित मूलि या उसके भाग का गैर-कृषिक आवासीय प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

Table with columns: क्र.सं., खसरा नम्बर (हाल), क्षेत्रफल (हैक्ट. में), किसम्, and a list of land parcels with their details and owners.

Table with columns: क्र.सं., खसरा नम्बर (हाल), क्षेत्रफल (हैक्ट. में), किसम्, and a list of land parcels with their details and owners.

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में तय सीटें आरक्षित नहीं रखने पर मांगा जवाब

जयपुर, (का.सं.)।हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2023 में एससी और एसटी के लिए तय आरक्षण के अनुपात में सीटें आरक्षित नहीं रखने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, कॉलेज शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव से पूछा है कि क्यों ना भर्ती विज्ञापन को रद्द कर नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए जाएं जस्टिस सुदेश बंसल को एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. राहुल मोर्य व अन्य की ओर दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

34 साल पहले मामले में सजा कम की

जयपुर। हाईकोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में 34 साल पहले पेश अपील का निस्तारण करते हुए अभियुक्त को मिला सजा को कम करते हुए उसे भुगतान हुई सजा तक सीमित कर दिया है। हालांकि अदालत ने कहा कि यदि मामले में लगाया गया हर्जाना अभियुक्त दो माह में जमा नहीं कराता है तो उसे डिफॉल्ट सजा भुगतनी होगी।

युवती की हत्यारे को आजीवन कारावास

जयपुर, (का.सं.)। एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने वर्ष 2016 में विद्याधर थाना इलाके में एकरतफा प्रेम के चलते युवती की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या करने वाले अभियुक्त जयंत सोढानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने अभियुक्त के पिता राजेश सोढानी को साक्ष्य मिटाने के जुर्म में तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने हर्षिता की धारदार हथियार से निर्दयता से हत्या कर उसके शव को शहीद पार्क सेक्टर-7 के पास एक खाली प्लॉट में पटक दिया। वहीं उसके पिता ने भी साक्ष्य मिटाने में उसका साथ दिया है। अभियुक्तों का यह कृत्य गंभीर नहीं रखी जा सकती।

Form R.S. 5.23 [See Rule 5.37(3)] Notice to be published in local News paper (in case of death of permit holder) NOTICE The permit holder shri Amar Singh...

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर (No. 01462-258665, 257509 Email Add. npbeawar@gmail.com. दिनांक- 18.09.2023)

Table with columns: क्रम, नाम पिता/पति का नाम, आवेदनित भूखण्ड का नाम, भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्गज में, प्रयोजनार्थ. Row 1: श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री मुकुन्द शर्मा

कार्यालय नगरपालिका विजयनगर जिला ब्यावर राज. गांधी उद्यान-ब्यावर रोड, विजयनगर. दिनांक: 11-09-23

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा प्रशासन शहरों के संग अधिनियम 2021 के तहत लीज वीड पट्टे से लीज होल्डर पट्टे हेतु शीघ्रतः धारणा कबज्या पत्तो श्री राकेश सैनी द्वारा रचनायुक्त कॉलोनी राजस्व प्राथमिक विजयनगर खसरा नं. 380 से 384 व 386 से 391 के भूखण्ड संख्या 188 सर्वेज 30-40 ए का आवेदन प्राप्त हुआ है।

कार्यालय नगर निगम, अजमेर न.नं.अ/23-24/ए.सं./824 दिनांक: 12/09/2023

आपति सूचना श्री दिलीप टिलवानी पुत्री श्री लक्ष्मण टिलवानी निवासी 1289 / 26 सिन्धी कॉलोनी भावनाग्राम, अजमेर द्वारा एक भूखण्ड संख्या सी. 8 जो खसरा संख्या 176, 177 व 178 का भाग है जो कार्मिक सचिव आरक्षण रोड अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 40.76 वर्गमीटर है भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृत हो निर्धारित प्रपत्र में इन कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

कार्यालय नगर निगम, अजमेर न.नं.अ/23-24/अ.नं./849 दिनांक: 18/09/2023

आपति सूचना श्री जगदीश भाटिया पुत्री श्री गोपीचंद भाटिया पुत्री श्रीमती रविंद्र भाटिया पत्नी श्री जगदीश भाटिया निवासी विद्यार्थीनगर इन्कम्प टैक्स कॉलोनी कैप्टलीन नगर अजमेर द्वारा एक शेडर स्मॉल निरप प.ए.स. सी. नं. 17/465, 466 व 467, 468, 469, 470, 471, 472 है तथा वर्तमान में ए.ए.सी. नं. 18/9 अफिस है जो वाकै पुर्वीकरण मार्ग अर्थात् अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 108.37 वर्गमीटर है भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृत हो निर्धारित प्रपत्र में इन कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि (1) आनन्द व्यास पुत्र प्रकाश चन्द व्यास (2) संगीता व्यास पत्नि श्री आनन्द व्यास निवासी हीमेश्वर व्यास सदा पीपली बलाडी का मन्दिर शिवनगर विद्यार्थीनगर, अजमेर की क्षेत्रफल 250 वर्गज के भूखण्ड की पञ्चवली नियम हेतु ग्राम थोक मरिचकान तृतीय के वंशिक खसरा नम्बर 8122, 8125, 8126, 8131 में प्रक्रियोजना है।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि (1) अरविन्द व्यास पुत्र प्रकाश चन्द व्यास (2) राजकुमारी व्यास पत्नि श्री प्रकाश चन्द व्यास निवासी हीमेश्वर व्यास सदा पीपली बलाडी का मन्दिर शिवनगर विद्यार्थीनगर, अजमेर की क्षेत्रफल 250 वर्गज के भूखण्ड की पञ्चवली नियम हेतु ग्राम थोक मरिचकान तृतीय के वंशिक खसरा नम्बर 8122, 8125, 8126, 8131 में प्रक्रियोजना है।